## अध्याय–VII : कर–इतर प्राप्तियां

### 7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर, प्रशासन तथा विभाग में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं। प्रशासनिक मामलों में सात अतिरिक्त निदेशक, खान एवं छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता की जाती है। अतिरिक्त निदेशक खान, अधीक्षण खनि अभियन्ता के नेतृत्व वाले नौ वृत्तों के माध्यम से नियन्त्रण करते हैं।

खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के अतिरिक्त राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण के लिये 49 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों के लिये उत्तरदायी हैं। विभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से एक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं।

### 7.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभागीय क्रियाकलापों को लागू कानूनों, विनियमनों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी ढंग से किये जाने तथा राजस्व संग्रहण न करने, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभिन्न अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं शुद्धता से संधारण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से लंबित थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, प्रणाली में कमजोरी वाले क्षेत्रों से अनभिज्ञ थे, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई। यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है। तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान 129 इकाइयों में से केवल तीन की लेखापरीक्षा की गयी।

## 7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम विभागों में 137 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थीं । इनमें से लेखापरीक्षा ने 33 इकाइयों[2] का, जिनमें खनन पट्टों, अधिशुल्क संग्रहण ठेकों, *अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकों, खनिज के अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली के प्रकरण, अल्पावधि अनुमति-पत्रों के 13,872 प्रकरण[3] विद्यमान थे, लेखापरीक्षा के लिये चयन किया । इनमें से लेखापरीक्षा ने 8,244 प्रकरणों[4] (लगभग 59 प्रतिशत) का चयन किया जिनमें लेखापरीक्षा ने अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत, स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क, पर्यावरण प्रबन्धन फंड की अवसूली/कम वसूली, शास्ति/ब्याज का अनारोपण, प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव के निहित ₹ 605.81 करोड़ के 1,987 प्रकरण (चयनित प्रकरणों का लगभग 24 प्रतिशत) पाये । ये प्रकरण उदाहरणस्वरूप हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । लेखापरीक्षा ने कुछ समान प्रकार की चूकें पूर्व वर्षों में ध्यान में लायी, न केवल ये अनियमिततायें कायम रहीं बल्कि आगामी लेखापरीक्षा किये जाने तक खोजी नहीं गई । लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, चूकों तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों के सारभूत अनुपात (लगभग 24 प्रतिशत) ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी जिससे कि ऐसी खामियों के होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके । पायी गयी अनियमिततायें मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | श्रेणी | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **'जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण की लेखापरीक्षा'** पर अनुच्छेद | | 1 | 194.60 |
| 2 | अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली | | 110 | 230.53 |
| 3 | स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली | | 135 | 13.63 |
| 4 | शास्ति/ब्याज का अनारोपण | | 203 | 5.45 |
| 5 | प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव | | 57 | 11.87 |
| 6 | पर्यावरण प्रबन्धन फंड की अवसूली/कम वसूली | | 18 | 0.20 |
| 7 | अन्य अनियमिततायें | राजस्व | 1,437 | 148.92 |
| | | व्यय | 26 | 0.61 |
| **योग** | | | **1,987** | **605.81** |

वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 2,081 प्रकरणों में ₹ 21.16 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 973 प्रकरण निहित ₹ 9.72 करोड़ वर्ष 2017-18 की एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये । विभाग ने 1,080 प्रकरणों में

---

[1] 35 इम्प्लिमेंटिंग इकाइयों को शामिल करते हुये ।

[2] आठ इम्प्लिमेंटिंग इकाइयों को शामिल करते हुये ।

[3] 6,848 खनन पट्टे; 13 पेट्रोलियम खनन पट्टे; 79 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/*अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेके; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 2,994 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 534 प्रकरण; 3,400 अल्पावधि अनुमति-पत्र तथा चार पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति ।

[4] 2,106 खनन पट्टे; 13 पेट्रोलियम खनन पट्टे; 79 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/*अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेके; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 2,482 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 437 प्रकरण; 3,123 अल्पावधि अनुमति-पत्र तथा चार पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति ।

₹ 9.72 करोड़ वसूल किये, जिसमें से 44 प्रकरण निहित ₹ 0.39 करोड़ चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व वर्षों के थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने चार प्रकरण स्वीकार किये तथा संपूर्ण राशि ₹ 1.02 करोड़ वसूल किये। इन प्रकरणों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गयी है।

'**जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण की लेखापरीक्षा**' पर एक अनुच्छेद निहित ₹ 194.60 करोड़ एवं उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरणों में निहित ₹ 0.84 करोड़ पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

## 7.4 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण की लेखापरीक्षा

### 7.4.1 प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित (27 मार्च 2015) कर दिया था। उक्त अधिनियम की धारा 9बी खनन संबंधित संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिये कार्य करने हेतु एक ट्रस्ट जो जिला खनिज फाउन्डेशन कहलायेगा एवं जो गैर-लाभकारी निकाय के रूप में कार्य करेगा, की स्थापना के लिये प्रावधान करती है। यह अधिनियम मोटे तौर पर वह राशि जिसे खनन पट्टा धारकों द्वारा प्रधान खनिजों के संदर्भ में जिला खनिज फाउन्डेशन को वार्षिक रूप से भुगतान करना अपेक्षित है, रेखांकित करता है। तद्नुसार भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत वह राशि[5] जो प्रधान खनिजों के रियायत धारकों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन को भुगतान की जानी है, अधिसूचित (17 सितम्बर 2015) की।

इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकार को जिला खनिज फाउन्डेशन के कार्यों को विनियमित करने तथा अप्रधान खनिजों के रियायत धारकों द्वारा भुगतान की जाने वाली अंशदान राशि निर्धारित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अनुसरण में राजस्थान सरकार ने 12 जनवरी 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करते हुए जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 अधिसूचित (31 मई 2016) किये। जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों का नियम 13(5) प्रावधान करता है कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान के संग्रहण, मिलान एवं प्रतिसत्यापन के लिये उत्तरदायी होगा।

राज्य के 33 जिलों में रियायत धारकों/अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों/*अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकेदारों से 31 मार्च 2018 तक जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु कुल संग्रहण ₹ 1,592.53 करोड़ था। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्टों द्वारा राशि ₹ 119.18 करोड़ (7.48 प्रतिशत) व्यय किये गये।

[5] 12 जनवरी 2015 से पूर्व अनुदानित खनन पट्टों के संबंध में भुगतान किये गये अधिशुल्क का 30 प्रतिशत तथा 12 जनवरी 2015 को या उसके पश्चात् अनुदानित खनन पट्टों या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टों के संबंध में भुगतान किये गये अधिशुल्क का 10 प्रतिशत।

### 7.4.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

यह आंकलन करने के लिये कि क्या खान विभाग द्वारा फंड का संग्रहण, मिलान एवं प्रतिसत्यापन नियमानुसार किया गया था, लेखापरीक्षा ने 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में से 11 कार्यालयों[6] का चयन किया। सितंबर 2015 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि से संबंधित अभिलेखों की अप्रैल 2018 से जून 2018 के दौरान संवीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, नियमों के समय पर सृजन एवं उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा संधारित अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत संवीक्षा के लिये चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में प्रधान खनिज[7] पट्टों का 50 प्रतिशत, अप्रधान खनिज[8] पट्टों, अल्पावधि अनुमति-पत्रों[9] तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों[10], प्रत्येक का 10 प्रतिशत तथा प्रदान किये गये सभी[11] अधिशुल्क संग्रहण ठेकों[12]/*अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकों[13] का चयन किया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018); सरकार ने अपना प्रत्युत्तर फरवरी 2019 में अग्रेषित किया।

### लेखापरीक्षा जांच-परिणाम

### 7.4.3 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों को लागू करने में कमियां

#### 7.4.3.1 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 की घोषणा में विलम्ब

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत सरकार ने 12 जनवरी 2015 से प्रभावी करते हुये खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम को संशोधित (27 मार्च 2015)

---

[6] सहायक खनि अभियंताः ऋषभदेव, सलूम्बर तथा सावर; खनि अभियंताः अजमेर, आमेट, ब्यावर, भीलवाड़ा, बिजोलिया, राजसमंद-I, राजसमंद-II तथा उदयपुर।

[7] प्रधान खनिजों में खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जिप्सम, चूना पत्थर (सीमेंट ग्रेड), वर्मीक्यूलाइट, वोलेस्टोनाइट, जिंक इत्यादि शामिल हैं। चयनित कार्यालयों में 47 पट्टों में से 32 का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

[8] अप्रधान खनिजों में इमारती पत्थर, ग्रेवल, साधारण चिकनी मिट्टी, निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग होने वाली मिट्टी को छोड़कर साधारण मिट्टी इत्यादि शामिल है। चयनित कार्यालयों में 5,119 पट्टों में से 554 का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

[9] अल्पावधि अनुमति-पत्र से तात्पर्य अप्रधान खनिज नियमों के अन्तर्गत एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर तथा निर्दिष्ट क्षेत्र से एक खनिज की निर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन एवं हटाने के लिये अनुदानित एक अनुमति पत्र से है। चयनित कार्यालयों में 286 अल्पावधि अनुमति-पत्रों में से 136 का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

[10] ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र से तात्पर्य ईंटों के निर्माण हेतु ईंट-मिट्टी के उत्खनन के लिये अनुदानित एक अनुमति-पत्र से है। चयनित कार्यालयों में 94 ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्रों में से 42 का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

[11] चयनित कार्यालयों में सभी 52 अधिशुल्क संग्रहण ठेकों/*अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकों का संवीक्षा हेतु चयन किया गया।

[12] अधिशुल्क संग्रहण ठेके से तात्पर्य ठेके में निर्दिष्ट क्षेत्र से खदान अनुज्ञप्तिधारी या अनुमति-पत्र धारक द्वारा निर्गमित निर्दिष्ट खनिज के लिये सरकार की ओर से अनुमति-पत्र शुल्क सहित अथवा बिना अनुमति-पत्र शुल्क के अधिशुल्क तथा अन्य कोई प्रभारों का संग्रहण करने के लिये एक ठेके से है।

[13] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके से तात्पर्य ठेके में निर्दिष्ट क्षेत्र से खनन पट्टाधारी द्वारा निर्गमित निर्दिष्ट खनिज के लिये सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क तथा अन्य कोई प्रभार, जैसा कि ठेके में निर्दिष्ट हो के संग्रहण के लिये एक ठेके से है।

कर दिया था । इसके अलावा, भारत सरकार ने 12 जनवरी 2015 से प्रभावी करते हुये खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउन्डेशन का अंशदान) नियम, 2015 बनाये तथा पट्टा धारकों द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन को दिये जाने वाले अंशदान की राशि निर्धारित (17 सितंबर 2015) की ।

प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम द्वारा संधारित अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि राजस्थान सरकार द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर परिहार्य प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ । राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की दिनांक (17 सितंबर 2015) से आठ माह के विलम्ब के पश्चात् भूतलक्षी रूप से 12 जनवरी 2015 से प्रभावी करते हुये जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 अधिसूचित (31 मई 2016) किये । इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार ने राज्य के सभी 33 जिलों में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्टों की स्थापना (9 जून 2016) की ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आदेशित किया (18 दिसंबर 2017) कि राज्य सरकार की 31 मई 2016 की अधिसूचना द्वारा अप्रधान खनिज से सम्बन्धित जिला खनिज फाउन्डेशन के लिये अंशदान की देयता सृजित और परिमाणबद्ध हुई थी, इसलिए, अप्रधान खनिजों से सम्बन्धित रियायत धारको को अधिसूचना जारी करने की दिनांक से पूर्व के जिला खनिज फाउन्डेशन अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । इसके परिणामस्वरूप 12 जनवरी 2015 से 30 मई 2016 तक राज्य में अप्रधान खनिजों के निर्गमन पर ₹ 147.33 करोड़ का ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान का संग्रहण नहीं हुआ ।

ध्यान में लाये जाने पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम ने तथ्यों को स्वीकार किया ।

### 7.4.3.2 ट्रस्ट फंड के संग्रहण के लिए पृथक लेखांकन उप-शीर्ष नहीं खोलना

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों के नियम 13(2) के अनुसार, ट्रस्ट फंड हेतु भुगतान, ई-भुगतान के माध्यम से एक पृथक उप-शीर्ष के अधीन अधिशुल्क के साथ अग्रिम संग्रहित किया जावेगा तथा इसे ट्रस्ट के खाते में जमा किया जावेगा तथा अधिशुल्क के निर्धारण के समय यदि कोई अंतर राशि देय होती है तो उसे ट्रस्ट के खाते में तत्काल जमा किया जावेगा । पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के लाभ के लिये, पट्टा धारकों से प्राप्त अंशदान को बजट दस्तावेज में दर्शाने के लिए एक पृथक उप-शीर्ष अनिवार्य है । इसके अलावा, प्राप्त अंशदान की सरकार द्वारा तत्समय आधार (रियल टाइम बेसिस) पर निगरानी करने में भी यह सहायक है ।

यह पाया गया कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर को वित्त विभाग के परामर्श से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान की राशि को जमा करने के लिए एक उप-शीर्ष खोलने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध (4 जून 2016) किया । वित्त विभाग ने उत्तर में खान विभाग को सूचित किया कि विभाग ने महालेखाकार (लेखा एवं हक) से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट हेतु अंशदान को जमा करने के लिए एक पृथक उप-शीर्ष खोलने का अनुरोध किया (6 मई 2016) था परन्तु महालेखाकार का उत्तर प्रतीक्षित था । महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के संदर्भ में जो प्रक्रिया सुझायी जावेगी, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट

हेतु अंशदान के संग्रहण के लिए भी अपना ली जाएगी। विभाग ने निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के नाम से कोषालय उदयपुर में ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते (अगस्त 2016) के साथ उदयपुर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में केन्द्रीकृत चालू बैंक खाते (11 अगस्त 2016) के माध्यम से ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान संग्रहित किया। इसके पश्चात् अप्रैल 2017 में यह निर्णय किया गया कि ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान प्रत्येक जिले में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के नाम से खोले गए ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में जमा किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2017 से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट हेतु अंशदान का संग्रहण एक पृथक उप-शीर्ष में जमा किया जा रहा था, तथापि, वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हक) को जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के लिए पृथक उप-शीर्ष खोलने का कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया गया था।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु संग्रहित राशि का समग्र चित्रण प्राप्त करने के लिए निजी निक्षेप खातों में प्राप्त राशि से संबंधित जानकारी को समेकित करते हैं। यदि एक पृथक उप-शीर्ष खोला गया होता (भले ही लोक लेखों के अन्तर्गत) तो राज्य सरकार को तत्समय आधार (रियल टाइम बेसिस) पर संग्रहण के आंकड़ों की जानकारी होती।

### 7.4.3.3 अंशदान राशि का ट्रस्ट फंड के साथ मिलान नहीं करना

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों का नियम 13(5) प्रावधान करता है कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु अंशदान के संग्रहण, मिलान तथा प्रति-सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा तथा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किसी अनुसूचित बैंक में खोले गए ट्रस्ट के खाते में इसे जमा करेगा। प्राप्तियों एवं संवितरणों के उचित लेखांकन के लिए वे आवधिक सूचना वित्तीय सलाहकार/नोडल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रारंभ में पट्टा धारकों द्वारा ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान या तो संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में या निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के नाम से एक राष्ट्रीयकृत बैंक की उदयपुर स्थित शाखा में खोले गए केंद्रीकृत चालू बैंक खाते में सीधे जमा किया गया था। निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा यह राशि उदयपुर स्थित कोषालय में खोले गए निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित की जा रही थी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अंशदान के संग्रहण का केंद्रीकृत चालू बैंक खाते में जमा फंड के साथ मिलान नहीं किया गया था। 31 मार्च 2018 तक ₹ 498.17 करोड़ की राशि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में पड़ी हुई थी। यह राशि संबंधित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं की गई थी और संबंधित जिले इस राशि का उपयोग नहीं कर सके।

उपलब्ध फंड का संवितरण नहीं करने के कारण तथा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निजी निक्षेप खाते से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्टों को संवितरित फंड के मिलान से संबंधित सूचना चाही गई (अप्रैल 2018 तथा अक्टूबर 2018), उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2019)।

## 7.4.4 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान

### 7.4.4.1 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के लिए मांग एवं संग्रहण पंजिका के संधारण का अभाव

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के उचित संग्रहण, मिलान एवं सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिये एक पृथक मांग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण करना आवश्यक था। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि आठ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों[14] में पृथक पंजिकाओं का संधारण नहीं किया गया था। पट्टों की अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों की ठेका पत्रावलियों तथा अस्थायी कार्यानुमति पत्रावलियों की संवीक्षा में पाया गया कि 31 मई 2016 से 31 मार्च 2018 के दौरान 130 प्रकरणों में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु ₹ 4.78 करोड़ का अंशदान वसूली योग्य था।

मांग एवं संग्रहण पंजिका के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या ₹ 4.78 करोड़ का भुगतान जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड को किया गया था।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि अधिशुल्क के लिये ऑन-लाइन मांग पंजिका संधारित थी, तथापि, सरकार ने जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के लिये एक पृथक मांग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं करने या विद्यमान ऑन-लाइन पंजिका के साथ इसे किस प्रकार एकीकृत किया जावे, के संबंध में उत्तर नहीं दिया।

### 7.4.4.2 ट्रस्ट फंड के संग्रहण के लिए ऑन-लाइन प्रबंधन प्रणाली में कमी

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 73 के अनुसार पट्टाधारी के लिये ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से सृजित *ई-रवन्ना*[15] प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों का नियम 13(2) प्रावधान करता है कि ट्रस्ट फंड हेतु भुगतान एक पृथक उप-शीर्ष के अन्तर्गत ई-भुगतान के माध्यम से अधिशुल्क के साथ अग्रिम में संग्रहित किया जावेगा।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि विभाग *ई-रवन्ना* सृजन के समय अधिशुल्क राशि अग्रिम संग्रहित (अक्टूबर 2017) कर रहा था, तथापि, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट राशि को अधिशुल्क के साथ संग्रहित करने के लिए विभागीय ऑन-लाइन प्रबंधन प्रणाली (ओएमएस-आईटी प्रणाली) में प्रावधान नहीं किया गया था।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड राशि के ऑन-लाइन संग्रहण के लिये ओएमएस-आईटी प्रणाली को अद्यतन किया जा रहा है।

---

[14] सहायक खनि अभियंताः ऋषभदेव तथा सलूम्बर; खनि अभियंताः अजमेर, आमेट, भीलवाड़ा, बिजोलिया, राजसमंद-I तथा राजसमंद-II।

[15] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 2(1)(xliii) के अनुसार, *ई-रवन्ना* किसी खनिज रियायत या अनुमति-पत्र के अधीन अनुदानित एक निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज या ओवरबर्डन के निर्गमन, उपभोग या प्रसंस्करण के लिए विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित चालान है।

### 7.4.4.3 जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान का कम भुगतान

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17 सितंबर 2015 के अनुसार, प्रधान खनिज के संबंध में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु किये जाने वाले अंशदान की राशि 12 जनवरी 2015 से पूर्व अनुदानित खनन पट्टों के संबंध में भुगतान किये गये अधिशुल्क का 30 प्रतिशत तथा 12 जनवरी 2015 को या उसके पश्चात अनुदानित खनन पट्टों या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह खनन पट्टों के संबंध में भुगतान किये गये अधिशुल्क का 10 प्रतिशत होगी । इसके अलावा, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों के नियम 13 के अनुसार, अप्रधान खनिज के प्रकरण में किये जाने वाले अंशदान की राशि भुगतान किये गये अधिशुल्क का 10 प्रतिशत होगी । इसके अतिरिक्त, अधिशुल्क निर्धारण के समय यदि कोई अंतर राशि देय होती है, तो ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान ट्रस्ट फंड के खाते में तत्काल जमा किया जावेगा ।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि छः खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ता ने पट्टा धारकों, *अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकेदारों तथा ईंट भट्टे के मालिकों से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान का नीचे दिये विवरणानुसार सही भुगतान सुनिश्चित नहीं किया:

**(₹ करोड़ में)**

| **क्र. सं.** | **खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय** | **अंशदाताओं की श्रेणी (संख्या)** | **अंशदान की अवधि** | **भुगतान की जाने वाली राशि** | **भुगतान की गई राशि** | **कम भुगतान की गई राशि (5-6)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** |
| 1 | 5 खनि अभियन्ता कार्यालय[16] | प्रधान खनिज पट्टा धारक (11) | 17 सितम्बर 2015 से 31 मार्च 2018 | 944.43 | 752.28 | 192.15 |
| 2 | 5 खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय[17] | अप्रधान खनिज पट्टा धारक (34) | 31 मई 2016 से 31 मार्च 2018 | 0.28 | 0.20 | 0.08 |
| 3 | 2 खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय[18] | अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार (3) | 18 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2018 | 5.87 | 3.77 | 2.10 |
| 4 | 2 खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय[19] | ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र धारक (80) | 31 मई 2016 से 31 मार्च 2018 | 0.11 | 0.01 | 0.10 |
| **योग** | | | | **950.69** | **756.26** | **194.43** |

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि खनि अभियन्ताओं/सहायक खनि अभियन्ता ने जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान का सही भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, जिसके

[16] खनि अभियंता: अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद-II तथा उदयपुर ।

[17] खनि अभियंता: अजमेर, आमेट, ब्यावर तथा उदयपुर एवं सहायक खनि अभियंता: सावर ।

[18] खनि अभियंता: राजसमंद-II तथा सहायक खनि अभियंता: सावर ।

[19] खनि अभियंता: भीलवाड़ा तथा सहायक खनि अभियंता: सावर ।

परिणामस्वरूप जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु ₹ 194.43 करोड़ के अंशदान का कम भुगतान हुआ ।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि आठ प्रकरणों (प्रधान खनिज-एक प्रकरण, अप्रधान खनिज-तीन प्रकरण, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार-एक प्रकरण तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र तीन प्रकरण) में ₹ 62.43 लाख वसूल किये जा चुके हैं । शेष प्रकरणों में प्रत्युत्तर प्रतीक्षित थे ।

***खदान अनुज्ञप्ति* धारकों द्वारा उत्खनित खनिजों पर ट्रस्ट फंड की अवसूली**

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 3(1)(xix) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 2(1)(xlii) के अनुसार *खदान अनुज्ञप्ति* से तात्पर्य अप्रधान खनिजों के लिए अनुदानित एक अनुज्ञप्ति से है जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के लिये अधिशुल्क के अतिरिक्त निश्चित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान करना अपेक्षित है । *खदान अनुज्ञप्ति* के अधीन क्षेत्रों से उत्खनित खनिज का अधिशुल्क या तो अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार के माध्यम से या वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि विभागीय चैक पोस्ट की स्थापना के माध्यम से संग्रहित किया जाता है । इसके अलावा, एक *खदान अनुज्ञप्ति* धारक के लिये संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय को खनिज उत्पादन विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है । खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भी अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने का दायित्व नहीं सौंपा गया है ।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 68(1) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 60(1) के अनुसार, यदि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता किसी भी स्थान पर अधिशुल्क की अपवंचना रोकने या नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, वह लिखित में एक आदेश द्वारा ऐसे स्थान पर चैक पोस्ट की स्थापना या अवरोधक खड़ा करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

खनि अभियंता ब्यावर के क्षेत्राधिकार में जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्रामों बर, फतेहखेड़ा, लवाया तथा बिराठिया खुर्द/कलां में अवस्थित खनिज फिलाइट शिष्ट/गिट्टी/खंडा की 84 *खदान अनुज्ञप्तियां* थीं ।

यह पाया गया कि *खदान अनुज्ञप्ति* के अधीन क्षेत्रों से उत्खनित खनिज के अधिशुल्क संग्रहण के लिए एक अधिशुल्क संग्रहण ठेका निष्पादित (जुलाई 2015) किया गया था । चूंकि अप्रधान खनिजों पर जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड को 31 मई 2016 से प्रभावी किया गया था, इसलिये जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण की शर्त ठेके का भाग नहीं थी । खनि अभियन्ता ने ठेकेदार को जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड राशि के संग्रहण के लिए एक पूरक संविदा निष्पादित करने हेतु निर्देशित (जून 2016) किया । लेकिन ठेकेदार ने पूरक संविदा का निष्पादन नहीं किया तथा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों के परिपेक्ष्य में ठेका राशि में वृद्धि के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से स्थगन प्राप्त किया । इसे ठेका अवधि की समाप्ति (31 मार्च 2017) तक निरस्त नहीं करवाया गया था । अधिशुल्क तथा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड संग्रहण के लिए 14 जुलाई 2017 को एक नया अधिशुल्क संग्रहण ठेका निष्पादित किया गया था । चूंकि खनि अभियन्ता *खदान अनुज्ञप्ति* धारकों से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड संग्रहण के लिए पूरक संविदा निष्पादित नहीं कर सका, अतः खनि अभियन्ता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि चैक पोस्ट की स्थापना के माध्यम से जिला

खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड संग्रह करना अपेक्षित था । तथापि, 31 मई 2016 से 13 जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए चैक पोस्टों के माध्यम से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के संग्रहण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड का संग्रहण नहीं करने के परिणामस्वरूप ट्रस्ट को हानि हुई ।

चूँकि *स्वदान* धारकों के लिये खनि अभियन्ता कार्यालय को खनिज के प्रेषण की विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था, अतः खनि अभियन्ता किसी विशिष्ट स्वदान से प्रेषित खनिज का आंकलन नहीं कर सके । इसलिए, लेखापरीक्षा *स्वदान अनुज्ञप्ति* धारकों से वसूलनीय जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट की राशि की संगणना नहीं कर सका ।

ट्रस्ट फंड को हुई हानि की संगणना के लिए लेखापरीक्षा ने अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले स्वदान क्षेत्रों से प्रेषित खनिज के आंकड़े[20] प्रदान करने के लिए खनि अभियन्ता कार्यालय से अनुरोध (मई 2018) किया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2019) ।

सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (फरवरी 2019) में चैक पोस्ट की स्थापना के माध्यम से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड का संग्रहण नहीं करने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये ।

### 7.4.4.4 ट्रस्ट फंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 का नियम 77 (1 मार्च 2017 से प्रभावी) प्रावधान करता है कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु अंशदान से संबंधित सभी बकाया पर देय तिथि से 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभावी होगा ।

पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[21] में यह देखा गया कि मार्च 2017 से मार्च 2018 के दौरान सात प्रकरणों में, अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों ने ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान एक दिन तथा 253 दिन के मध्य के अलग-अलग अंतराल से विलम्ब से जमा किया लेकिन संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने मासिक किस्तों के विलंबित भुगतान के लिये देय कुल ब्याज ₹17.03 लाख की मांग[22] कायम नहीं की ।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि ₹ 4.92 लाख की राशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष राशि के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

### 7.4.4.5 ट्रस्ट फंड के हिस्सा अंशदान का हस्तांतरण नहीं करना

जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियमों का नियम 13(4) प्रावधान करता है कि जहां एक खनन पट्टा एक से अधिक जिलों में आता है तो जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट हेतु अंशदान, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता जिसके कार्यालय में अधिशुल्क का निर्धारण किया जाता है, द्वारा संचालित खाते में जमा किया जायेगा । तथापि, इस प्रकार प्राप्त की गई कुल राशि, आनुपातिक रूप से प्रत्येक जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जायेगी ।

---

[20] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37-ए(xiii) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 44(13) के अनुसार अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार के लिये ठेका क्षेत्र से निर्गमित खनिज का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था । तथापि, इन विवरणों में स्वदान वार सूचना शामिल नहीं थी ।

[21] खनि अभियंताः आमेट, बिजोलिया, राजसमंद-I, राजसमंद-II तथा सहायक खनि अभियंताः सलूम्बर ।

[22] ₹ 0.01 लाख तथा ₹ 2.58 लाख के मध्य की सीमा में ।

(i) खनि अभियंता उदयपुर में यह देखा गया कि 49.48 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल वाला एक खनन पट्टा संख्या 1/1995 खनि अभियंता सिरोही के क्षेत्राधिकार में प्रभावी था । पट्टे के कुल क्षेत्रफल 49.48 हेक्टेयर में से, 22.065 हेक्टेयर नाप का एक क्षेत्र तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर में अवस्थित था । पट्टा धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 1 जून 2016 तथा 30 अप्रैल 2017 के मध्य पट्टा धारक द्वारा केंद्रीकृत चालू बैंक खाते में ₹ 59.81 लाख की राशि जमा की गई थी । तथापि, विभाग ने जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट उदयपुर को ₹ 26.67 लाख की आनुपातिक राशि आवंटित नहीं की । खनि अभियंता उदयपुर ने भी जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट उदयपुर को आनुपातिक राशि हस्तांतरित करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की ।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट अंशदान के हस्तान्तरण के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ii) खनि अभियंता ब्यावर कार्यालय में यह देखा गया कि खनि अभियंता ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी-इकबालगढ़ खण्ड के निर्माण के लिए जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम रेलमगरा के निकट के क्षेत्र से 1.96 लाख मैट्रिक टन साधारण मिट्टी तथा जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम खेजड़ला, कायाभीला के निकट के क्षेत्र से 1.50 लाख मैट्रिक टन ओवरबर्डन (चिनाई पत्थर) उठाने के लिए एक फर्म को नौ अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी (सितंबर 2017 एवं जनवरी 2018) किये । चूंकि खनिज जिला पाली से उठाया गया था अतः अंशदान जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट पाली के निजी निक्षेप खाते में जमा होना था लेकिन फर्म ने इसके बजाय आठ अल्पावधि अनुमति-पत्र प्रकरणों में ₹ 3.58 लाख जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट अजमेर के निजी निक्षेप खाते में जमा किए । इसके अलावा, फर्म ने एक प्रकरण में, ₹ 1.15 लाख जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट पाली के निजी निक्षेप खाते के बजाय जिला कलक्टर, अजमेर के निजी निक्षेप खाते में जमा किए । इस प्रकार, ट्रस्ट फंड हेतु अंशदान राशि ₹ 4.73 लाख जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट पाली को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था ।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट अजमेर को जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट पाली के खाते में ₹ 4.73 लाख हस्तान्तरित करने के लिये पत्र लिखा जा चुका है ।

### 7.4.5 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार ने जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 विलम्ब से बनाये तथा नियमानुसार इसके लेखांकन के लिए एक पृथक उप-शीर्ष नहीं खोला । ट्रस्ट फंड को अधिशुल्क के भुगतान के साथ जमा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था । विभाग ने खनिज रियायत धारकों, अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों तथा ईंट-मिट्टी अनुमति-पत्र धारकों से जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड हेतु पूर्ण अंशदान के साथ-साथ विलम्बित भुगतान पर ब्याज वसूल नहीं किया ।

- *सरकार उचित निगरानी हेतु ट्रस्ट फंड संग्रहण करने के लिए एक पृथक उप-शीर्ष खोल सकती है तथा मिलान के पश्चात् संबंधित जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट को ₹ 498.17 करोड़ संवितरित करने के प्रयासों में तत्परता ला सकती है ।*

- *सरकार अपनी ऑन-लाइन प्रणाली में अधिशुल्क के भुगतान के साथ जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फंड के अग्रिम संग्रहण के लिए एक विकल्प अन्तर्स्थापित करने पर विचार कर सकती है तथा सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों को पट्टा/ अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका वार मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित करने के लिए निर्देशित कर सकती है ।*

## 7.5 ब्याज के लिये मांग कायम नहीं करना

*अधिक अधिशुल्क*[23] संग्रहण के लिये ठेका, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 32(1) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 36(2) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है । इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 33डी(1) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 42(1) के अनुसार वार्षिक ठेका राशि समान मासिक/त्रैमासिक किस्तों में वसूल की जावेगी ।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम,1986 के नियम 33डी(2) सपठित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 44(17) के अनुसार वार्षिक ठेके के अधीन देय मासिक/त्रैमासिक किस्तें नियत तिथि से पूर्व अग्रिम में भुगतान की जावेगी । नहीं चुकायी गई राशि पर नियत तिथि से 15/18 प्रतिशत प्रति वर्ष[24] की दर से ब्याज देय होगा । सरकार इन बकाया राशियों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकती है ।

सहायक खनि अभियंता कोटपूतली एवं खनि अभियंता भीलवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तीन *अधिक अधिशुल्क* संग्रहण ठेकेदारों[25] ने नियत तिथि पर ठेका राशि की मासिक किस्तें जमा नहीं की थी । तथापि, खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता इस चूक के लिये ठेकेदारों के विरूद्ध ब्याज के लिये मांग कायम करने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 60.33 लाख की अवसूली रही ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया (मई 2018 एवं मार्च 2018) गया । सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि मांग कायम की जा चुकी है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन वसूली प्रस्तावित की जा चुकी है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2019) ।

---

[23] वह अधिशुल्क जो पट्टा धारक द्वारा वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक भुगतान किया जाना है, *अधिक अधिशुल्क* कहलाता है ।

[24] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अनुसार ब्याज की दर क्रमशः 15 प्रतिशत प्रति वर्ष (28 फरवरी 2017 तक) तथा 18 प्रतिशत प्रति वर्ष उसके पश्चात् ।

[25] पहला ठेका 5 मई 2015 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली की राजस्व सीमा में अवस्थित स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित चूना पत्थर तथा मार्बल पर *अधिक अधिशुल्क* के संग्रहण के लिये था, दूसरा ठेका 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये जिला जयपुर की तहसील विराट नगर की राजस्व सीमा में अवस्थित स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित चुनाई पत्थर पर *अधिक अधिशुल्क* संग्रहण के लिये था तथा तीसरा ठेका 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये जिला भीलवाड़ा की तहसील आसीन्द, बदनोर, भीलवाड़ा, करेड़ा, माण्डल तथा रायपुर की राजस्व सीमा में अवस्थित स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित ग्रेनाईट पर *अधिक अधिशुल्क* संग्रहण के लिये था ।

## 7.6 प्रशमन शुल्क की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(1) के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत अनुदानित अनुमति के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की खनन संक्रियाऐं नहीं करेगा। इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-ए सपठित उक्त नियमों के नियम 48(3) के परंतुक के अनुसार इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी, नियम 48(1) के उल्लंघन में किये गये अपराध का, ऐसी राशि के भुगतान पर जैसा कि वह निर्दिष्ट करे, प्रशमन कर सकेगा। उपरोक्त परंतुक के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि ₹ 5,000 से कम नहीं होगी और खनिज की कीमत, यदि वसूलनीय हो, के अतिरिक्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों के नियम 68(5) के अनुसार यदि विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि अधिशुल्क निर्धारण के दायित्वाधीन किसी खनिज के संबंध मे अधिशुल्क की अपवंचना किये जाने की संभावना है, ऐसा अधिकारी वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को प्रशमन शुल्क के साथ खनिज पर भुगतान योग्य अधिशुल्क की राशि के 10 गुणा के बराबर राशि के भुगतान करने के लिये आदेश दे सकेगा।

राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23-ए सपठित उक्त नियमों के नियम 48(3) तथा 68(5) के अंतर्गत खनिज के अवैध खनन तथा परिवहन में शामिल अपराधियों से जब्त वाहनों की मुक्ति के लिये प्रभार्य प्रशमन शुल्क निर्धारित किया:

| क्रम संख्या | उपकरण/वाहन/औजार का नाम | प्रत्येक मद के लिये प्रशमन शुल्क (₹ में) |
|---|---|---|
| 1 | ट्रेक्टर ट्रोली/कम्प्रेसर/ड्रिलिंग मशीन/वायर सॉ तथा अन्य औजार, इत्यादि | 25,000 |
| 2 | हॉफ बॉडी ट्रक/छोटे डम्पर/क्रेन, इत्यादि | 50,000 |
| 3 | फुल बॉडी ट्रक/हैवी ड्यूटी डम्पर्स/क्रशर/पावर हैमर, इत्यादि | 1,00,000 |
| 4 | ट्रोला, एक्सकेवेटर/लोडर, इत्यादि | 2,00,000 |

उपरोक्त राशियां उत्खनित खनिज की कीमत के अतिरिक्त प्रभारित की जानी थी।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता सवाई माधोपुर में संधारित पंचनामा पत्रावलियों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 2018) कि 45 प्रकरणों में, विभागीय अधिकारियों ने उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के उल्लंघन में उन वाहनों को जो खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त थे या तो बिना प्रशमन शुल्क प्रभारित किये (18 प्रकरण) या कम प्रशमन शुल्क प्रभारित किये (27 प्रकरण) मुक्त कर दिया। इसके परिणामस्वरूप प्रशमन शुल्क ₹ 23.90 लाख की अवसूली/कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया (मई 2018) गया। सरकार द्वारा अग्रेषित विभाग के प्रत्युत्तर मे बताया गया (अक्टूबर 2018) कि जांच के समय वाहनों के पास वैध *रवन्ना* थे तथा *रवन्ना* में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज की मात्रा की कीमत प्रशमन शुल्क सहित वसूल ली गई थी। इन प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 लागू नहीं था क्योंकि इन वाहनों के पास *रवन्ना* थे।

ऊपर उल्लेखित सभी प्रकरणों में वाहनों ने या तो बिना *रवन्ना* के या *रवन्ना* में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिजों का परिवहन किया, इस प्रकार वाहनों की मुक्ति के लिये उक्त

परिपत्र के प्रावधान लागू होते थे। अतः विभाग का प्रत्युत्तर परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के क्रम में नहीं था, जिसमें यह भी वर्णित था "*यह ध्यान में रखते हुये कि अलग-अलग अधिकारियों द्वारा समान प्रकरणों के लिये अलग-अलग प्रशमन शुल्क प्रभारित किया जा रहा है, यह निश्चित किया जाता है कि जब्त वाहनों/औजारों की मुक्ति के लिये अपराधियों से खनिजों की कीमत के अतिरिक्त उपरोक्त दरों पर प्रशमन शुल्क प्रभारित किया जा सकता है*"। इन तथ्यों ने इंगित किया कि विभाग शासकीय परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं कर रहा था।

*यह अवैध खनन की रोकथाम तथा राजस्व के हित में होगा यदि सरकार विभाग को निर्देशित करे की विभाग सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करे तथा सरकार द्वारा परिपत्र में बनाये गये मानदंडों के अनुसार अपराधों का प्रशमन करे।*

## 7.7 खनिज के अवैध उत्खनन तथा निर्गमन करने पर खनन पट्टा धारक के विरूद्ध उचित कार्यवाही का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9)(सी) के अनुसार एक पट्टाधारी या अन्य कोई व्यक्ति संबंधित खनि अभियंता द्वारा विशिष्ट खनिज तथा क्षेत्र के लिये विधिवत जारी *रवन्ना*[26] के बिना खान या खदान से खनिजों को नहीं हटायेगा या निर्गमित नहीं करेगा या उपयोग में नहीं लायेगा। इसके अलावा, उक्त नियमों के नियम 48(1) ने विनिर्दिष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत अनुदानित खनन पट्टे की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार अनुमत्य खनन संक्रियाओं को छोड़कर कोई भी खनन संक्रियाऐं नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों के नियम 48(5) ने विनिर्दिष्ट किया कि जब कभी कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना या खनन पट्टे की शर्तों एवं निबन्धनों के उल्लंघन में कोई खनिज निकालता है तथा निर्गमित करता है तो संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ऐसे खनिज की, प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर संगणित कीमत वसूल कर सकता है।

खनि अभियंता बूंदी-I के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (मार्च 2018) यह पाया गया कि खनन पट्टा संख्या 33/2002 (खनिज बलुआ पत्थर) के धारक द्वारा अनाधिकृत उत्खनन से संबंधित एक जांच के क्रम में अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा; अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), कोटा तथा खनि अभियंता, बून्दी-I द्वारा मौका निरीक्षण किया (23 नवम्बर 2015) गया। मौका निरीक्षण के आधार पर अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि खनन पट्टा क्षेत्र में गत तीन वर्षों से उत्खनन नहीं किया गया है। तथापि, यह देखा गया कि निर्दिष्ट खनन पट्टा क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया गया था। खनि अभियंता ने पट्टाधारी को गत तीन वर्षों के दौरान जारी 196 *रवन्नाओं* का दुरूपयोग निर्दिष्ट खनन पट्टा क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र से अवैध रूप से उत्खनित खनिज के निर्गमन हेतु करने के लिये एक चेतना-पत्र जारी (फरवरी 2016) किया। चेतना-पत्र के जवाब में पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर (मार्च 2016) के सत्यापन के लिये पट्टे का पुनः मौका निरीक्षण किया (30 अगस्त 2016) गया। इस निरीक्षण ने निर्दिष्ट खनन पट्टा क्षेत्र के अलावा एक अन्य क्षेत्र में अवैध खनन गढ्ढों से सम्बन्धित तथ्यों की पुनः पुष्टि की तथा निरीक्षण दल ने यह भी पाया कि *रवन्नाओं* का दुरूपयोग अवैध रूप से उत्खनित खनिज के निर्गमन के लिये किया गया था।

[26] *रवन्ना* से तात्पर्य खानों से खनिज को हटाने या निर्गमन करने के लिये प्रेषण चालान से है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इस जानकारी के बावजूद कि यह पट्टा धारक अवैध खनन में लिप्त था, केवल बकाया राशियों को जमा नहीं करने तथा खनन योजना को प्रस्तुत नहीं करने हेतु शास्ति (₹ 0.38 लाख + ₹ 1.50 लाख) के लिये चेतना-पत्र जारी (जुलाई 2016) किया। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि यद्यपि, विभाग ने खनन पट्टा खण्डित कर दिया (24 नवम्बर 2016) तथा खनन पट्टा क्षेत्र का कब्जा ले लिया परंतु इसने ना तो अवैध रूप से उत्खनित तथा *रवन्नाओं* के माध्यम से निर्गमित खनिज की मात्रा की गणना की, न ही इस संबंध में मांग कायम की।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया (मई 2018) गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2018) कि खनिज की कीमत राशि ₹ 37.24 लाख की वसूली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधीन प्रस्तावित की जा चुकी है। तथापि, विभाग ने मांग कायम किये जाने से संबंधित निर्धारण आदेश मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराया (फरवरी 2019)।

अनादि मिश्र

**(अनादि मिश्र)**
**महालेखाकार**
**(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान**

**जयपुर**
**दिनांक 28 अप्रैल 2019**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(राजीव महर्षि)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक 30 अप्रैल 2019**